SSC FOUNDATION
airGurukul
सम्यान 1.0 बैच
संविधान - भाग - 1
राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र
CONSTITUTION OF INDIA
DAILY LIVE : 12 PM
समय से तैयारी, समय से सफलता
BY-PAWAN SIR

WELCOME TO

airGurukul

Preparing Bharat, Empowering Futures

airGurukul Institute for Career Growth

www.airgurukul.com

Powered by **Prince Edutech Private Limited**

⚠️ Disclaimer ⚖️

This presentation, lecture, and all related study materials have been created and published by airGurukul Institute for Career Growth, a unit of ***Prince Edutech Private Limited***, for educational and informational purposes only. While every effort has been made to ensure the accuracy and reliability of the content, airGurukul does not guarantee that the information is absolutely current or free from error. Examination patterns, syllabus, and official notifications are subject to change by respective authorities, and students are strongly advised to verify details from official sources before making any decisions.

All third-party materials including logos, questions, references, or data used within this content are solely for educational illustration and fair-use academic discussion. Their ownership and copyrights remain with their respective owners. airGurukul shall not be held liable for any loss, damage, or consequence arising directly or indirectly from the use of this information.

By attending this session, viewing this content, or using the provided materials, the viewer acknowledges and agrees to this disclaimer. Unauthorized recording, copying, or redistribution of this content in any form is strictly prohibited.

अनुसूची 11 (Schedule 11) – पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार एवं उत्तरदायित्व
Eleventh Schedule – Powers, Authority and Responsibilities of Panchayats

- **संविधान में जोड़ी गई** → 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा
  Added to Constitution → By the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992
- **लागू हुई** → 24 अप्रैल 1993
  Came into force → 24 April 1993
- **मुख्य उद्देश्य** → पंचायत राज संस्थाओं को स्थानीय स्वशासन की शक्तियाँ देना
  Main Objective → To provide powers of local self-government to Panchayati Raj Institutions
- **कुल विषय (Subjects)** → 29
  Total Subjects → 29

क्र.	विषय (Hindi)	Subject (English)
1	कृषि	Agriculture
2	भूमि सुधार	Land Improvement & Land Reforms
3	लघु सिंचाई	Minor Irrigation
4	पशुपालन, डेयरी एवं पोल्ट्री	Animal Husbandry, Dairy & Poultry
5	मत्स्य पालन	Fisheries
6	सामाजिक वानिकी	Social Forestry
7	लघु वन उपज	Minor Forest Produce

8	लघु उद्योग	Small Scale Industries
9	खादी एवं ग्रामोद्योग	Khadi, Village & Cottage Industries
10	ग्रामीण आवास	Rural Housing
11	पेयजल	Drinking Water
12	ईंधन एवं चारा	Fuel and Fodder
13	सड़कें, पुल आदि	Roads, Culverts, Bridges, Ferries
14	ग्रामीण विद्युतीकरण	Rural Electrification
15	गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत	Non-conventional Energy Sources
16	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	Poverty Alleviation Programmes
17	प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा	Education including Primary & Secondary Schools
18	तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा	Technical Training & Vocational Education
19	प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा	Adult & Non-formal Education
20	पुस्तकालय	Libraries
21	सांस्कृतिक गतिविधियाँ	Cultural Activities
22	बाजार एवं मेले	Markets and Fairs
23	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	Health and Sanitation
24	परिवार कल्याण	Family Welfare
25	महिला एवं बाल विकास	Women and Child Development
26	समाज कल्याण	Social Welfare
27	कमजोर वर्गों का कल्याण	Welfare of Weaker Sections
28	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	Public Distribution System
29	सामुदायिक संपत्तियों का रखरखाव	Maintenance of Community Assets

अनुसूची 12 (Schedule 12) – नगरपालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार एवं उत्तरदायित्व

Twelfth Schedule – Powers, Authority and Responsibilities of Municipalities

- **संविधान में जोड़ी गई** → 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा

Added to the Constitution → By the 74th Constitutional Amendment Act, 1992

- **लागू हुई** → 1 जून 1993

Related Article → Article 243W

- **मुख्य उद्देश्य** → शहरी स्थानीय निकायों (Municipalities) को स्वशासन की शक्तियाँ प्रदान करना

Main Objective → To provide powers of self-government to Urban Local Bodies (Municipalities)

- **कुल विषय (Subjects)** → 18

Total Subjects → 18

क्र.	विषय (Hindi)	Subject (English)
1	नगरीय योजना	Urban Planning
2	भूमि उपयोग का विनियमन	Regulation of Land Use and Construction of Buildings
3	आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजना	Planning for Economic and Social Development
4	सड़कें एवं पुल	Roads and Bridges
5	घरेलू, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक जलापूर्ति	Water Supply for Domestic, Industrial and Commercial Purposes
6	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सफाई	Public Health, Sanitation and Solid Waste Management
7	अग्निशमन सेवाएँ	Fire Services
8	नगरीय वानिकी एवं पर्यावरण संरक्षण	Urban Forestry and Environmental Protection
9	कमजोर वर्गों का संरक्षण	Safeguarding the Interests of Weaker Sections
10	झुग्गी सुधार एवं उन्नयन	Slum Improvement and Upgradation
11	नगरीय गरीबी उन्मूलन	Urban Poverty Alleviation
12	पार्क, उद्यान एवं खेल मैदान	Provision of Urban Amenities, Parks and Playgrounds
13	सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं सौंदर्यात्मक पहलू	Promotion of Cultural, Educational and Aesthetic Aspects
14	कब्रिस्तान एवं शवदाह गृह	Burials and Burial Grounds; Cremations
15	पशु आश्रय एवं पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम	Cattle Pounds and Prevention of Cruelty to Animals
16	जन्म-मृत्यु पंजीकरण	Vital Statistics including Registration of Births and Deaths
17	सार्वजनिक सुविधाएँ	Public Amenities including Street Lighting, Parking Lots, Bus Stops
18	वधशालाओं एवं चमड़ा उद्योग का विनियमन	Regulation of Slaughter Houses and Tanneries

PART 1-The Union and its Territory

Art : 1-4

संघ — क्षेत्र

Part I of the Constitution defines India as a 'Union of States', its territories and their types, and empowers Parliament to establish new states, or modify existing ones.

संविधान का भाग। भारत को 'राज्यों का संघ', इसके क्षेत्रों और उनके प्रकारों के रूप में परिभाषित करता है, तथा संसद को नए राज्यों की स्थापना करने या मौजूदा राज्यों में संशोधन करने का अधिकार देता है।

ARTICLES 1 TO 4 - अनुच्छेद 1 से 4

भारत :- 7th

2.4% - पूरे विश्व का

3287263 KM^2

भारत में 36 क्षेत्र

राज्य :- 28

संघ राज्य क्षेत्र / केन्द्र शासित प्रदेश — 8

Article 1: Name and Territory of the Union

अनुच्छेद 1: संघ का नाम और क्षेत्र

State-28, UT-8

क्षेत्र / Area :- 36

(1) India, that is Bharat, shall be a Union of States.

इंडिया, अर्थात् भारत, राज्यों का संघ होगा।

Art 1-(1)(2) The States and the territories thereof shall be as specified in the First Schedule.

राज्य और उनके क्षेत्र प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

(3) The territory of India shall comprise भारत का राज्यक्षेत्र निम्नलिखित से मिलकर बनेगा -

(a) the territories of the States; राज्यों के क्षेत्र;

(b) the Union territories specified in the First Schedule; and प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्र; और

(c) such other territories as may be acquired. ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जा सकें।

लद्दाख
J&K] → 2019

चंडीगढ़

दिल्ली

दमन दीव & दादर नगर हवेली :- 2020

लक्षद्वीप

पुडुचेरी

Andman & Nicobar

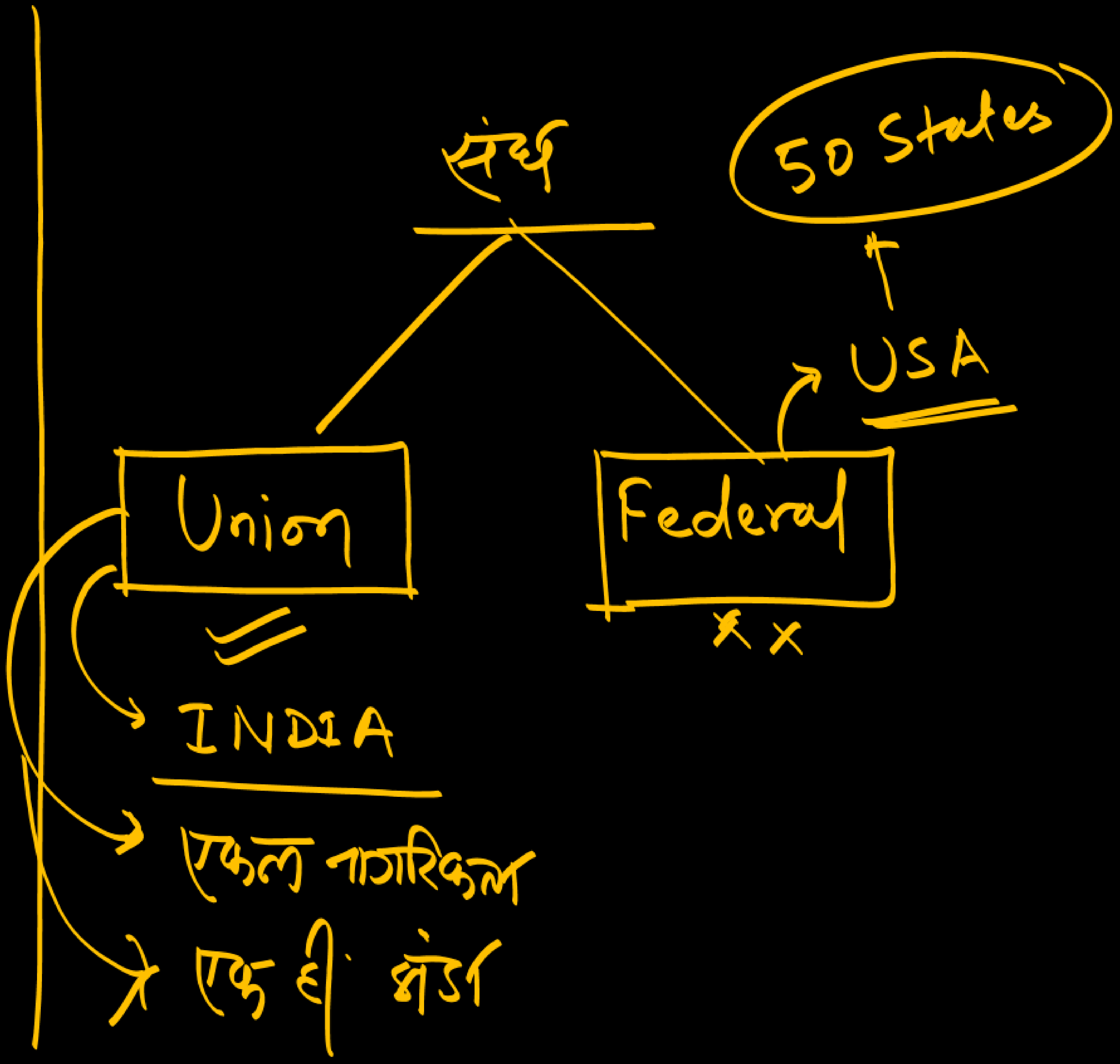

1st Schedule of Indian Constitution

भारतीय संविधान की पहली अनुसूची राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और उनकी सीमाओं से संबंधित प्रावधानों को रेखांकित करती है, जो प्रमुख अनुच्छेदों से जुड़े हैं और समय के साथ संशोधित होते रहते हैं

1st Schedule of the Indian Constitution outlines provisions on States, Union Territories, and their boundaries, linked to key Articles and amended over time

देश जब आजाद हुआ तब भारत में 550 से अधिक रियासतें थीं। राज्यों का नक्शा भी ऐसा नहीं था, जैसा आज हमें देखने को मिलता है। संविधान के अनुसार हमारा देश 'राज्यों का संघ' है जो राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। लेकिन आजादी के बाद देश में राज्यों को चार कैटेगरी में रखा गया था। इन चार कैटेगरी को पार्ट A States, पार्ट B States, पार्ट C States और पार्ट D क्षेत्र का नाम दिया गया था।

At the time of independence, there were more than 550 princely states in India. The map of states was also not the same as we see today. According to the Constitution, our country is a "Union of States," which is made up of States and Union Territories. However, after independence, the states in the country were placed into four categories. These four categories were named Part A States, Part B States, Part C States, and Part D Territories.

अनुसूचि : 01 : राज्य का वर्णन ✓

→ 26 Jan 1950 :- मूल संविधान

→ 4 श्रेणी के राज्य :- A, B, C, D
(क, ख, ग, घ)

7 वां संविधान संशोधन 1956

राज्य पुनर्गठन

~~A, B, C, D~~ → 14 राज्य, 6-UT

पार्ट A राज्य –
जो राज्य ब्रिटिश भारत के पूर्व गवर्नर द्वारा शासित प्रांत थे, उन पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल और एक निर्वाचित राज्य विधायिका का शासन था। पार्ट A के नौ राज्यों में असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश (पूर्व मध्य प्रांत और बरार), मद्रास, उड़ीसा, पंजाब (पूर्व में पूर्वी पंजाब), उत्तर प्रदेश (पूर्व में संयुक्त प्रांत) और पश्चिम बंगाल थे।

पार्ट B राज्य-
ऐसे राज्य जो पूर्व रियासतों या रियासतों के समूह थे और एक राजप्रमुख द्वारा शासित थे और जहां एक निर्वाचित विधायिका भी थी। राजप्रमुख को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया था। पार्ट B के आठ राज्यों में हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ (PEPSU), राजस्थान, सौराष्ट्र और त्रावणकोर-कोचीन थे।

पार्ट C राज्य-
इस कैटेगरी में पूर्व मुख्य आयुक्त के प्रांत और रियासतें शामिल थीं और प्रत्येक को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक मुख्य आयुक्त द्वारा शासित किया जाता था। पार्ट c के दस राज्यों में अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, और विंध्य प्रदेश थे।

पार्ट D क्षेत्र-
इस कैटेगरी में एकमात्र क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह था, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक उप राज्यपाल द्वारा प्रशासित किया जाता था।

PEPSU

पेप्सू को अंग्रेजी में PEPSU कहते थे और इसका फुल फॉर्म (Patiala and East Punjab States Union) है।
इसका मतलब है पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ। यह अंग्रेजों के अधीन पंजाब प्रांत का एक हिस्सा था, जो **1948 से 1956 तक** भारत का एक प्रांत रहा था। यह आठ जिलों पटियाला, जींद, नाभा, फरीदकोट, कलसिया, मलेरकोटला, कपूरथला और नालागढ़ से मिलकर बना था।
इसका गठन 15 जुलाई, 1948 को किया गया था और 1950 में यह भारत का एक प्रांत बन गया। इसकी राजधानी पटियाला थी और क्षेत्रफल 26,208 वर्ग किलोमीटर था। वर्तमान हिमाचल प्रदेश राज्य के शिमला, कसौली, कंडाघाट, धरमपुर और चैल भी तब इसका हिस्सा थे।

जब 1947 में अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तब उस समय पंजाब में कई रियासतें थीं।
इस पूरे क्षेत्र को दो राज्यों में बांटा गया था- पंजाब और पेप्सू।
पंजाब की बोली पंजाबी (गुरुमुखी लिपि) में अपनाई गई थी; जबकि पेप्सू में पंजाबी और हिंदीभाषी क्षेत्र थे।

13 जनवरी 1949 को, ज्ञानी सिंह ररेवाला पेप्सू के पहले मुख्यमंत्री बने और कर्नल रार्धीर सिंह 23 मई 1951 को दूसरे मुख्यमंत्री बने।

1 नवंबर, 1956 को पेप्सू प्रांत का पुनर्गठन कर अधिकांश हिस्सों का पंजाब राज्य में विलय कर दिया गया। पेप्सू राज्य के ही कुछ हिस्से, जिनमें जींद के आसपास का दक्षिण-पूर्वी हिस्सा और नारनौल एन्क्लेव शामिल है, बाद में हरियाणा राज्य का भाग बने जो **1 नवंबर 1966** को पंजाब से अलग होकर अस्तित्व में आया। कुछ अन्य क्षेत्र जो पेप्सू का हिस्सा थे, विशेष रूप से सोलन और नालागढ़, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में स्थित है।

विंध्य प्रदेश (VINDYA PRADESH)

विंध्य प्रदेश राज्य का गठन् 12 मार्च 1948 को और इसका उद्घाटन 4 अप्रैल 1948 को हुआ था।

विंध्य प्रदेश, भारत का एक भूतपूर्व प्रदेश था जिसका क्षेत्रफल 23,603 वर्ग किमी. तक फैला था।

भारत की स्वतंत्रता के बाद सेंट्रल इंडिया एजेंसी के पूर्वी भाग की रियासतों को मिलाकर 1948 में इस राज्य का गठन किया गया था। इस राज्य की राजधानी रीवा थी।

इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण में मध्य प्रदेश था। विंध्य क्षेत्र पारंपरिक रूप से विंध्याचल पर्वत के आसपास के पठारी भाग को कहा जाता है।

इसके गठन के बाद 35 रियासतों को विंध्य प्रदेश राज्य के गठन के लिए मिला दिया गया था।

ये रियासतें थीं-

रीवा, पन्ना, दतिया, ओरछा, अजयगढ़, बाओनी, बरौंधा, बिजावर, छतरपुर, चरखारी, मैहर, नागोद, समथर, अलीपुरा, बांका-पहाड़ी, बेरी, भैसुंडा (चौबे जागीर), बिहट, बिजना, धुरवाई, गरौली, गौरीहार, जासो, जिगनी, खानियाधाना, कामता रजौला (चौबे जागीर), कोठी, किरुर (कुब्जे जागीर), लुगासी, नैगावां रेबाई, पहरा (चौबे जागीर), पालदेओ (चौबे जागीर), सरिला, सोहावल, तोरी-फतेहपुर (हष्ट भैया जागीर)।

S.No	State (राज्य)	Establishment Date (स्थापना तिथि)	Related Constitutional Amendment / Act (संबंधित संशोधन / अधिनियम)
1	Andhra Pradesh	1 Nov 1956	States Reorganisation Act, 1956
2	Arunachal Pradesh	20 Feb 1987	55th Constitutional Amendment Act, 1986
3	Assam	26 Jan 1950	Original State
4	Bihar	26 Jan 1950	Original State
5	Chhattisgarh	1 Nov 2000	Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000
6	Goa	30 May 1987	56th Constitutional Amendment Act, 1987
7	Gujarat	1 May 1960	Bombay Reorganisation Act, 1960
8	Haryana	1 Nov 1966	Punjab Reorganisation Act, 1966
9	Himachal Pradesh	25 Jan 1971	State of Himachal Pradesh Act, 1970
10	Jharkhand	15 Nov 2000	Bihar Reorganisation Act, 2000
11	Karnataka	1 Nov 1956	States Reorganisation Act, 1956
12	Kerala	1 Nov 1956	States Reorganisation Act, 1956
13	Madhya Pradesh	1 Nov 1956	States Reorganisation Act, 1956
14	Maharashtra	1 May 1960	Bombay Reorganisation Act, 1960
15	Manipur	21 Jan 1972	North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971
16	Meghalaya	21 Jan 1972	22nd Constitutional Amendment Act, 1969
17	Mizoram	20 Feb 1987	53rd Constitutional Amendment Act, 1986
18	Nagaland	1 Dec 1963	13th Constitutional Amendment Act, 1962
19	Odisha	26 Jan 1950	Original State
20	Punjab	26 Jan 1950	Original State
21	Rajasthan	1 Nov 1956 (final integration)	States Reorganisation Act, 1956
22	Sikkim	16 May 1975	36th Constitutional Amendment Act, 1975
23	Tamil Nadu	26 Jan 1950	Originally Madras State
24	Telangana	2 Jun 2014	Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014
25	Tripura	21 Jan 1972	North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971
26	Uttar Pradesh	26 Jan 1950	Original State
27	Uttarakhand	9 Nov 2000	Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000
28	West Bengal	26 Jan 1950	Original State

Article 2: Admission or establishment of new States
अनुच्छेद 2: नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना

Parliament may by law admit into the Union, or establish, new States on such terms and conditions as it thinks fit.
संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे, संघ में नये राज्यों को शामिल कर सकेगी या उनकी स्थापना कर सकेगी।

DADAR NAGAR HAVELI → 1954 (From Portugal)
PONDICHERRY → 1954 (From France)
GOA → 1961 (From Portugal) Operation Vijay
SIKKIM → 1974 Co- State (From Chogyal Dynesty), 1975 State

Article 3: Formation of new States and alteration of areas, boundaries or names of existing States
अनुच्छेद 3: नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन

Power:- संसद | साधारण बहुमत

Parliament may by law / संसद कानून द्वारा -

(a) form a new State by separation of territory from any State or by uniting two or more States or parts of States or by uniting any territory to a part of any State;
किसी राज्य से क्षेत्र अलग करके या दो या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य के किसी भाग में किसी क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य बनाना;

(b) increase the area of any State; किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना
(c) diminish the area of any State; किसी राज्य के क्षेत्र को कम करना
(d) alter the boundaries of any State; किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना
(e) alter the name of any State: किसी राज्य का नाम परिवर्तित करना

बिहार से झारखण्ड
UP से UK
MP से छत्तीसगढ़
AP से तेलंगाना

Article 4:

Laws made under articles 2 and 3 to provide for the amendment of the First and the Fourth Schedules and supplemental, incidental and consequential matters

अनुच्छेद 4: प्रथम और चतुर्थ अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाए गए कानून

(1) Any law referred to in article 2 or article 3 shall contain such provisions for the amendment of the First Schedule and the Fourth Schedule as may be necessary to give effect to the provisions of the law and may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions (including provisions as to representation in Parliament and in the Legislature or Legislatures of the State or States affected by such law) as Parliament may deem necessary.

अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में प्रथम अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों और उसमें ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध भी अंतर्विष्ट हो सकेंगे (जिनके अंतर्गत संसद में और ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध भी हैं) जिन्हें संसद आवश्यक समझे।

(2) No such law as aforesaid shall be deemed to be an amendment of this Constitution for the purposes of article 368.

पूर्वोक्त कोई भी विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी।

THANK YOU

airGurukul

Preparing Bharat, Empowering Futures

airGurukul Institute for Career Growth

www.airgurukul.com

Follow Us |

Powered by **Prince Edutech Private Limited**